



The Aryabhata Knowledge University (Amendment) Act, 2013

Act 9 of 2013

Keyword(s):

Dean, Registrar, University, Higher Education

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

7 ज्येष्ठ 1935 (श10)
(सं0 पटना 426) पटना, मंगलवार, 28 मई 2013

विधि विभाग

अधिसूचनाएं

28 मई 2013

संख्या-एल0जी0-1-6/2013/लेज: 90—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 25 मई, 2013 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विनोद कुमार सिन्हा,
सरकार के सचिव।

आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2013

[बिहार अधिनियम 9, 2013]

आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2008 (बिहार अधिनियम 24, 2008) का संशोधन करने के लिए अधिनियम।

प्रस्तावना :- आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के प्रशासनिक सुदृढीकरण के लिए आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2008 में कतिपय उपबंधों का संशोधन तथा कतिपय प्रावधानों का जोड़ना आवश्यक है।

भारत गणराज्य के चौसठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा यह निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो:-

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ ।-** (1) यह अधिनियम आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2013 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह राजपत्र में इसकी अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।

2. **बिहार अधिनियम 24, 2008 की धारा-9 का प्रतिस्थापन ।** - बिहार अधिनियम 24, 2008 की धारा-9 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायगी :-

"9- विश्वविद्यालय के पदाधिकारी ।- विश्वविद्यालय के निम्नलिखित पदाधिकारी होंगे:-

(1) कुलपति

(2) प्रतिकुलपति

(3) डीन

(4) रजिस्ट्रार

(5) वित्तीय सलाहकार

(6) वित्त पदाधिकारी

(7) परीक्षा नियंत्रक

(8) पुस्तकालयाध्यक्ष।

(9) ऐसे अन्य पदाधिकारी जिन्हे परिनियम द्वारा विश्वविद्यालय का पदाधिकारी घोषित किया जाए।"

3. **बिहार अधिनियम 24, 2008 की धारा-12 के बाद नई धारा-12क, 12ख और 12ग का अंतःस्थापन ।-** "उक्त अधिनियम की धारा-12 के बाद निम्नलिखित नई धाराएँ अंतःस्थापित की जायगी :-

"12क" (1) प्रतिकुलपति :- प्रतिकुलपति ख्याति प्राप्त विद्वान होंगे।

(2) प्रतिकुलपति की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी।

(3) प्रतिकुलपति अपना पद धारण करने की तिथि से तीन वर्षों की पदावधि के लिए पद धारण करेगा और अगली एक पदावधि के लिए पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा। पदावधि की समाप्ति के पश्चात् राज्य सरकार प्रतिकुलपति से यथाविनिर्दिष्ट अवधि, जो कुल एक वर्ष से अधिक नहीं होगी, तक पद पर बने रहने की अपेक्षा कर सकेगी।

(4) प्रतिकुलपति की परिलब्धियाँ एवं अन्य सेवा शर्तें वही होंगी जो जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाय।

12 ख - प्रतिकुलपति की शक्तियाँ, कर्तव्य एवं कृत्य :- प्रतिकुलपति कुलपति के नियंत्रणाधीन विश्वविद्यालय के अकादमिक एवं प्रशासनिक कार्यकलापों के कुशल संचालन एवं पर्यवेक्षण का उत्तरदायी होगा।

12 ग - प्रतिकुलपति को पद से हटाया जाना । - यदि किसी समय तथा यथावश्यक जाँच पड़ताल के पश्चात् राज्य सरकार को यह प्रतीत हो कि प्रतिकुलपति -

(क) इस अधिनियम, परिनियमो या अध्यादेशों के अधीन उसे अधिरोपित किसी कर्तव्य के निर्वहन करने में विफल हो गया है, अथवा

(ख) इस रीति से कार्य किया है जो विश्वविद्यालय के हितों के प्रतिकूल है, अथवा

(ग) विश्वविद्यालय के कार्यकलापों के प्रबंधन में असमर्थ रहा है, तो राज्य सरकार, इस तथ्य के होते हुए भी कि प्रतिकुलपति की पदावधि समाप्त नहीं हुई है, लिखित आदेश द्वारा, तथा उसमें कारणों का उल्लेख करते हुए आदेश में यथाविनिर्दिष्ट तिथि से, प्रतिकुलपति के पद से मुक्त कर सकेगी।

(घ) उपर्युक्त कंडिका-(ग) के अधीन तबतक कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा जबतक कि प्रस्तावित उल्लिखित आधारों, जिसपर कार्रवाई प्रस्तावित हो, को अधिकथित करते हुए, सूचना तामिल न कर दी गयी हो और प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध कारण दर्शाने हेतु युक्तियुक्त अवसर प्रतिकुलपति को न दिया गया हो।"

4. **बिहार अधिनियम 24, 2008 की धारा-14 के बाद नई धारा-14क का अंतःस्थापन ।-** उक्त अधिनियम की धारा-14 के बाद निम्नलिखित नई धारा अंतःस्थापित की जाएगी :-

"14 क - वित्तीय सलाहकार। -(1) वित्तीय सलाहकार विश्वविद्यालय के पूर्णकालिक पदाधिकारी होंगे।

(2) वित्त सलाहकार की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी, जिस पर नियुक्ति/प्रतिनियुक्ति के माध्यम से भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा सेवा के पदाधिकारी या किसी अन्य लेखा सेवा के पदाधिकारी अथवा चार्टर्ड एकाउंटेंट (सी०ए०) की नियुक्ति की जा सकेगी।

- (3) वित्तीय सलाहकार की नियुक्ति उसकी नियुक्ति की तारीख से तीन वर्षों के लिए होगी, परन्तु राज्य सरकार, इस तथ्य के होते हुए भी कि वित्तीय सलाहकार की पदावधि समाप्त नहीं हुई है, वित्तीय कदाचार अथवा कर्तव्यों के निर्वहन में विफलता अथवा अक्षमता के आधार पर कारणों का उल्लेख करते हुए लिखित आदेश द्वारा आदेश में यथाविनिर्दिष्ट तिथि से वित्तीय सलाहकार को सेवामुक्त कर सकेगी।
- (4) उप-धारा (3) के अधीन तब तक कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि प्रस्तावित उल्लिखित आधारों, जिस पर कार्रवाई प्रस्तावित हो, को अधिकथित करते हुए, सूचना तामिल न की गई हो और प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध कारण दर्शाते हेतु युक्तियुक्त अवसर वित्तीय सलाहकार को न दिया गया हो।
- (5) वित्तीय सलाहकार की परिलब्धियाँ एवं सेवाशर्तें विश्वविद्यालय द्वारा राज्य सरकार के अनुमोदन से विहित की जाएगी।
- (6) वित्तीय सलाहकार विश्वविद्यालय के कुलपति के नियंत्रणाधीन विश्वविद्यालय के वित्तीय अनुशासन एवं पर्यवेक्षण का उत्तरदायी होगा।”

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विनोद कुमार सिन्हा,
सरकार के सचिव।

28 मई 2013

सं० एल०जी०-1-6/2013/91/लेजः।—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और महामहिम राज्यपाल द्वारा दिनांक 25 मई, 2013 को अनुमत आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय(संशोधन)अधिनियम,2013 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड(3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समक्षा जायेगा ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विनोद कुमार सिन्हा,
सरकार के सचिव।

The Aryabhatta Knowledge University (Amendment) Act, 2013

[Bihar Act 9, 2013]

AN

ACT

To amend the Aryabhatta Knowledge University Act, 2008 (Bihar Act 24, 2008)

Preamble:—For administrative consolidation of Aryabhatta Knowledge University, it is expedient to amend certain provisions and to add certain new provisions in The Aryabhatta Knowledge University Act, 2008.

Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the sixty-fourth year of the Republic of India as follows:

1. **Short title, Extent and commencement.**—(1) This Act may be called the Aryabhata Knowledge University (Amendment) Act, 2013.

(2) It shall extend to whole of the State of Bihar

(3) It shall come into force from the date of its publication, by notification in the official gazette.

2. **Substitution of Section-9 of Bihar Act 24 of 2008.**—Section-9 of the Bihar Act 24 of 2008, shall be substituted by the following:-

“9-Officers of the University-

The following shall be the officers of the University:—

- (1) the Vice-Chancellor;
- (2) the Pro-Vice Chancellor;
- (3) the Deans;
- (4) the Registrar;

- (5) the Financial Advisor;
- (6) the Finance Officer;
- (7) the Examination Controller;
- (8) the Librarian;
- (9) such other officers as may be declared by the Statutes to be officers of the University."

3. Insertion of new Section 12A, 12B and 12C after Section 12 of Bihar Act 24 of 2008- After section-12 of the said Act, the following new sections shall be inserted :-

"**12A-**(1) The Pro-Vice Chancellor shall be scholar of eminence;

(2) The Pro-Vice Chancellor shall be appointed by the State Government;

(3) The Pro-Vice Chancellor shall hold his office for a term of three years from the date on which he enters upon his office and he shall be eligible for re-appointment for next one term. The State Government may require the Pro-Vice Chancellor to continue in the office for such period which will not exceed the total period of one year and as may be specified by the Government after expiry of the term;

(4) The emoluments and other conditions of service of the Pro-Vice Chancellor shall be as may be prescribed by the State Government.

12B- Powers, Duties and Functions of the Pro-Vice Chancellor :- The Pro-Vice Chancellor shall be responsible for skillful conduct of the academic & administrative affairs and supervision of the university under the control of the Vice-chancellor.

12C - Removal of the Pro-Vice Chancellor:- If at any time and after such enquiry as may be considered necessary, it appears, to the State Government that the Pro-Vice Chancellor-

(a) has failed to discharge any duty imposed upon him, by or under this Act, the Statutes, the Ordinances, or

(b) has acted in a manner prejudicial to the interests of the University, or

(c) has been incapable of managing the affairs of the University,

The State Government, may, notwithstanding the fact that the term of office of the Pro-Vice Chancellor has not expired, terminate the appointment of the Pro-Vice Chancellor, by an order in writing stating the reasons thereof, from the date as may be specified in the order.

(d) No order shall be passed under sub section (c) above till the proposed mentioned grounds, on which action has been proposed, shall be served and adequate opportunities to show cause has been given to the Pro-Vice Chancellor."

4. Insertion of new section 14A after section 14 of Bihar Act 24 of 2008.- After section-14 of the said Act, the following new section shall be inserted :—

"**14A- The Financial Adviser.-** (1) The Financial Advisor shall be whole time officer of the University;

(2) The Financial Advisor shall be appointed by the State Government, officers of Indian Audit & Accounts Service or officers of any other Accounts Service or Chartered Accountant may be appointed through appointment/deputation;

(3) The appointment of the Financial Advisor shall be for three years from the date of appointment, but the State Government, notwithstanding the fact that the term of office of the Financial Advisor has not expired, may terminate the service of the Financial Advisor by an order in writing stating the reasons thereof from the date as may be specified in the order on the ground of financial misbehavior or failure to discharge his duty or incompetence;

(4) No order shall be passed under Sub-section-(3) till the proposed mentioned grounds, on which action has been proposed, shall be served and adequate opportunities to show cause has been given to the Financial Advisor;

(5) The emoluments and other conditions of service of the Financial Advisor shall be as prescribed by the University with the approval of State Government;

(6) The Financial Advisor shall be responsible for Financial discipline and supervision of the university controlled by the Vice-Chancellor."

By order of the Governor of Bihar,
VINOD KUMAR SINHA,
Secretary to Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 426-571+400-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>